प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

दण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 511/2004

निहालुद्दीन उर्फ मुन्ना

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक **03.11.2011** को निर्णय सुनाए जाने हेतु सुचिबद्ध करें

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

दण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 511/2004

आवेदक : निहालुद्दीन उर्फ मुन्ना पिता स्व वहीदुद्दीन, उम्र लगभग 39 वर्ष,

निवासी लक्ष्मी नगर सुपेला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

अनावेदक : छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना, धमधा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 सहपथित धारा 401 के तहत दण्डिक पुनरीक्षण)

उपस्थित : आवेदक की ओर से : श्री राकेश पांडे, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से : श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(03.11.2011)

1. मृतक तौहीदुद्दीन आवेदक का छोटा भाई था । मृतक अपनी पत्नी, शिकायतकर्ता शायरा बेगम के साथ अलग रहता था । मृतक एक टेम्पो चालक था । वह दिनांक 09.10.2003 से लापता था । दिनांक 16.10.2003 को वह शिवनाथ नदी में मृत पाया गया । मार्ग दर्ज की गई और शव को परीक्षण के लिए भेजा गया । शवपरीक्षण में पता चला कि डूबने से साँस लेने में पानी अंदर जाने से दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी । गुमशुदगी की सुचना की अन्वेषण के दौरान, मृतक की पत्नी, शायरा बेगम का बयान दिनांक 14.10.2003 को दर्ज किया गया । उक्त बयान में उन्होंने केवल इतना उल्लेख किया कि

मृतक दिनांक 9 अक्टूबर 2003 की रात 11 बजे से लापता थे । उन्होंने यह भी बताया कि मृतक और उनके बड़े भाई (आवेदक) के बीच विवाद हुआ था, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं था । संपत्ति को लेकर ऐसे विवाद कई बार हुए थे, लेकिन विवादों के बाद दोनों भाई सामान्य रूप से रहते थे । मृतक का शव नदी से अज्ञात अवस्था में निकाला गया । जब शव की पहचान मृतक के रूप में हुई, तो दिनांक 20 अक्टूबर 2003 को शायरा बेगम का एक और बयान दर्ज किया गया । इस बयान में उन्होंने आवेदक और मृतक के बीच पारिवारिक झगड़ों की विभिन्न घटनाओं का विवरण दिया और बताया कि विवाद मुख्य रूप से उनके पैतृक गांव में उनकी पैतृक संपत्ति और पिता की संपत्ति के बंटवारे को लेकर था । शायरा बेगम का तीसरा बयान भी दिनांक 25.10.2003 को दर्ज किया गया था । इस बयान में उन्होंने कहा कि मृतक के पिता की मृत्यु दिनांक 26.07.2002 को होने के बाद, उनके पिता की बैंक राशि भी आवेदक ने अपने पास रख ली थी और आवेदक ने ग्राम महौदा (उत्तर प्रदेश) की बटाई जमीन भी नहीं दी थी । उन्होंने आरोप लगाया कि आवेदक बी.एस.पी. में वाहन चालक था । वह अवैध डीजल लाता था और मृतक पर बाजार भाव से 2 रुपये कम देकर अवैध डीजल खरीदने का दबाव डालता था । इस तीसरे बयान के अंतिम कण्डिका में उन्होंने कहा कि दिनांक 09.10.2003 से दो दिन पहले मृतक परेशान दिख रहा था । जब उसने पूछा, तो उसने बताया कि आवेदक ने ज़मीन का कुछ हिस्सा अपने पास रखा है । जब उसने आवेदक से उस हिस्से के बारे में पूछा, तो आवेदक ने उस पर हमला किया और धमकी देते हुए कहा कि वह गाँव की सारी संपत्ति अपने पास रख लेगा । इस पर जब मृतक ने पूछा कि वह कहाँ रहेगा, तो आवेदक ने आगे कहा, "जाओ और मर जाओ, मैं तुम्हें एक इंच भी ज़मीन नहीं दूँगा ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इसी साक्ष्य के आधार पर आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अभियोग पत्र दाखिल किया गया था और मामले को दुर्ग सत्र न्यायालय को अर्पित किया गया तथा सत्र प्रकरण क्रमांक 110 / 2004 के रूप में पंजीकृत किया गया ।

3. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण को आरोप विरचित किए जाने के लिए नियत किया । यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध नहीं बनता है, इसलिए आवेदक को उनमोचित किया जाना चाहिए । सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त तर्कों को स्वीकार नहीं किया और दिनांक 10.09.2004 के आदेश द्वारा आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आरोप विरचित किया, जिसे आवेदक ने इस दण्डिक पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. आवेदक की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश पांडे ने कहा कि उकसाने का कोई सबूत नहीं है; ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि आवेदक ने आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा कोई कृत्य किया हो; यहां तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए सभी सबूतों को भी अगर अक्षरशः स्वीकार कर लिया जाए, तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध नहीं बनता है और सत्र न्यायाधीश ने आरोप तय करने के चरण में आवेदक / अभियुक्त को उनमोचित न करके विधि त्रुटि की है ।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया ।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात विस्तार से सुनी है और दण्डिक पुनरीक्षण याचिका के अभिलेखों का भी अध्ययन किया है।

7. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है । यह इस प्रकार है :-

"306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण - यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दस वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा ।"

8. संहिता की धारा 107 के अंतर्गत "किसी बात का दुष्प्रेरण " को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"107. किसी बात का उकसाना - कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए उकसाता है, जो –

प्रथम - किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है; या

द्वितीय - एक या एक से अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ उस कार्य को करने के लिए किसी षड्यंत्र में शामिल होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस कार्य को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध चूक होती है; या

तृतीय - जानबूझकर किसी कार्य या अवैध चूक द्वारा उस कार्य को करने में सहायता करता है ।"

धारा 107 के साथ जोड़ी गई व्याख्या 2 इस प्रकार है :

"स्पष्टीकरण 2 - जो कोई भी, किसी कार्य के घटित होने से पहले या उस कार्य के घटित होने के समय, उस कार्य को घटित करने में सहायता करने के लिए कुछ भी करता है,और

इस प्रकार उस कार्य को घटित करने में सहायता करता है, तो उसे उस कार्य को घटित करने में सहायता करना कहा जाता है ।"

9. गंगुला मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2010) 1 एससीसी 750 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 की व्याख्या करते हुए कहा कि "उकसाने में किसी व्यक्ति को उकसाने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है, या जानबूझकर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने में सहायता करना शामिल होता है और आत्महत्या के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए आरोपी द्वारा कोई सकारात्मक कार्य किए बिना कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती । आगे यह भी कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 को लागू करने के लिए अपराध करने का स्पष्ट आपराधिक मनोस्थिति होना आवश्यक है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 618 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "उकसाना किसी को 'कोई कार्य' करने के लिए उकसाना, प्रेरित करना, भड़काना या प्रोत्साहित करना है । उकसाने की शर्त को पूरा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इस आशय के शब्दों का प्रयोग किया जाए या उकसाने का अर्थ परिणाम का स्पष्ट संकेत देना हो । फिर भी, परिणाम को उकसाने की उचित निश्चितता स्पष्ट रूप से बताई जा सकनी चाहिए । यह मामला ऐसा नहीं है जहां अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक से या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की हों कि मृतक के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प न बचा हो, ऐसी स्थिति में उकसाने का अनुमान लगाया जा सकता था । क्रोध या भावावेश में बोले गए शब्द, जिसके परिणाम को वास्तव में घटित करने का आश्रय नहीं, उसे उकसाना नहीं कहा जा सकता ।"

11. मध्य प्रदेश राज्य बनाम सानिउ उर्फ सानिया सिंह सेंगर (2002) 5 एससीसी 371 के मामले में, मृतक ने दिनांक 27-07-1998 को आत्महत्या कर ली थी, जबकि कथित झगड़ा दिनांक 25-07-1998 को हुआ था, जब आरोप लगाया गया था कि आवेदक ने अपशब्दों का प्रयोग किया था और मृतक को जाकर मरने के लिए भी कहा था । इन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मृतक द्वारा दिनांक 27-07-1998 को आत्महत्या करना स्वयं ही स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह दिनांक 25-07-1998 को हुए झगड़े का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था, जब आरोप लगाया गया था कि आवेदक ने अपशब्दों का प्रयोग किया था और मृतक को जाकर मरने के लिए भी कहा था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पूर्व के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, एम. मोहन बनाम राज्य (उप पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व) (2011) 3 एससीसी 626 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "उकसाने में किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाने या जानबूझकर सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है । धारा 306 के तहत अपराध करने के लिए स्पष्ट आपराधिक मनोस्थिति होना चाहिए । इसके लिए आरोपी द्वारा प्रत्यक्ष या सक्रिय कृत्य करना आवश्यक है जिसके कारण मृतक ने कोई अन्य विकल्प न देखकर आत्महत्या कर ली और ऐसा कृत्य पीड़ित को ऐसी स्थिति में धकेलने के आशय से किया जाना चाहिए कि वह आत्महत्या कर ले ।"

13. भारतीय दंड संहिता के उपरोक्त प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों का गहन अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत किसी मामले में, इस धारा के तहत अपराध करने का स्पष्ट आपराधिक मनोस्थिति (मेन्स रिया) होना चाहिए और आरोपी द्वारा प्रत्यक्ष या सक्रिय कृत्य

होना चाहिए जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या की हो । कहने का तात्पर्य यह है कि पीड़ित / मृतक द्वारा आत्महत्या करने के लिए आरोपी द्वारा "उकसाने", "सहयोग" या "प्रारंभिक सहायता" का कोई न कोई प्रमाण अवश्य होना चाहिए ।

14. इस मामले में, मृतक की पत्नी शायरा बेगम के पहले बयान में, आवेदक के किसी भी ऐसे कृत्य का कोई ज़िक्र नहीं है जिसे 'उकसाना' कहा जा सके । शायरा बेगम ने बस इतना कहा कि दोनों भाई अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे । दिनांक 20.10.2003 और दिनांक 25.10.2003 को दर्ज किए गए बाद के दो बयानों में उन्होंने दोनों भाइयों के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर हुए झगड़ों और विवादों का विस्तार से वर्णन किया है । अपने अंतिम बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दिनांक 09.10.2003 से दो दिन पहले मृतक परेशान दिख रहे थे । जब उन्होंने इस बारे में पूछा, तो मृतक ने उन्हें अपने और आवेदक के बीच हुए झगड़े के बारे में बताया । उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि मृतक ने उन्हें बताया कि आवेदक ने कहा था कि वह उसे संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं देगा और उसे जाकर मर जाना चाहिए । इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक और मृतक के बीच कथित झगड़ा कथित घटना से 2 दिन पहले हुआ था, यानी संभवतः दिनांक 07.10.2003 को और मृतक ने दिनांक 09.10.2003 या दिनांक 10.10.2003 को आत्महत्या की क्योंकि वह दिनांक 09.10.2003 की रात 11.00 बजे तक जीवित था । संजू (उपरोक्त) मामले में लगभग ऐसी ही स्थिति थी, जहाँ आत्महत्या से दो दिन पहले झगड़ा हुआ था; सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आत्महत्या झगड़े का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं थी । इस मामले में भी, उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि आत्महत्या दोनों भाइयों के बीच हुए झगड़े का प्रत्यक्ष परिणाम थी । ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह ऐसा मामला है जिसमें आवेदक द्वारा मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो । इसके अलावा, आवेदक द्वारा मृतक को आत्महत्या करने में सहयोग या प्रारंभिक सहायता का कोई साक्ष्य नहीं है और इस प्रकार, इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सबूत नहीं है । एम. मोहन (उपरोक्त) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "विधानमंडल का आशय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का सिद्धांत स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषी ठहराने के लिए अपराध करने का स्पष्ट आपराधिक आशय होना आवश्यक है । इसके लिए एक सक्रिय कृत्य या प्रत्यक्ष कृत्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक ने कोई विकल्प न देखकर आत्महत्या कर ली और यह कृत्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलने के उद्देश्य से किया गया होना चाहिए कि उसने आत्महत्या कर ली ।" वर्तमान मामले में, हमें उपरोक्त प्रकार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं । दिनांक 09.10.2003 से दो दिन पहले हुए झगड़े और दिनांक 09.10.2003 या दिनांक 10.10.2003 को कथित रूप से की गई आत्महत्या के बीच कोई सीधा संबंध नहीं हो सकता । मेरा मानना है कि ऐसे साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आरोप विरचित करना संभव नहीं था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. सर्वोच्च न्यायालय ने माधवराव जीवाजीराव सिंधिया बनाम संभाजीराव चंद्रोजीराव आंग्रे, (1988) 1 एससीसी 692 के अनुच्छेद -7 में अभिनिर्धारित किया कि :

“7. विधिक सिद्धांत सर्वविदित है कि जब प्रारंभिक चरण में किसी अभियोजन को अभिखंडित करने का अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली कसौटी यह है कि क्या निर्विवाद आरोप प्रथम दृष्टया अपराध को सिद्ध करते हैं ।

न्यायालय को किसी विशेष मामले में प्रकट होने वाली किसी भी विशेष लक्षण पर भी विचार करना चाहिए यह निर्णय करने के लिए कि क्या अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना न्यायसंगत और उचित है । ऐसा इस आधार पर है कि न्यायालय का उपयोग किसी भी अनुचित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और जहां, न्यायालय की राय में, अंतिम दोषसिद्धि की संभावना कम है और इसलिए, आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होने की संभावना नहीं है, न्यायालय मामले के विशेष तथ्यों पर विचार करते हुए कार्यवाही को अभिखंडित कर सकता है भले ही वह प्रारंभिक चरण में हो ।"

यह आपराधिक अभियोग से संबंधित एक सिद्धांत था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य, (2010) 8 एससीसी 628 में, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही को इस आधार पर अभिखंडित कर दिया कि आरोप असुसंगत और निराधार थे और यह टिप्पणी किया कि उच्च न्यायालय कार्यवाही को अभिखंडित न करने में त्रुटिपूर्ण था ।

17. उपरोक्त कारणों से, पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है । अक्षेपित आदेश, जिसमें आरोप विरचित किए गए थे, अभिखंडित किया जाता है । धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत विरचित किए गए आरोप भी अभिखंडित किए जाते हैं और आवेदक को उपरोक्त आपराधिक मामले से बरी किया जाता है ।

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur